



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244464
CG-DL-E-18032023-244464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1217]
No. 1217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2023

का.आ. 1266(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/114/2021-जीपी - II (ई-40029)]

एम.आर. नाजमी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2023

S.O. 1266(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby

authorizes Shri Dilip Kumar Agrawal, Upper Collector (Retried), Chhattisgarh Administrative Service to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Chhattisgarh.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/114/2021-GP-II (E-40029)]

M.R. NAZMI, Under Secy.